5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

197

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 R ..... I / 15–16 निगरानी

रामप्रकाश पुत्र सुखवासी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विजयगढ तह0 पोरसा हाल निवासी पूठरोड अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1–रामऔतार पुत्र बैजनाथ

2–मुन्नीदेवी पत्नी रामऔतार

जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विजयगढ तह0 पोरसा हाल निवासी गोपालपुरा मुरैना म0प्र0

3–रामदास पुत्र सुखवासी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विजयगढ तह0 पोरसा हाल निवासी पूठरोड अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

4–रामशरण 5–श्रीकृष्ण 6–दिनेश पुत्रगण शिवनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी सब्जीमण्डी रोड तह0 अम्बाह जिला मुरैना

7–रामदेवी पुत्री प्रभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विजयगढ तह0 पोरसा हाल नि0 ग्राम मोधना तह0 अटेर जिला भिण्ड

8–प्रभाकर 9–सुभाष 10–प्रदीप पुत्रगण रामप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विजयगढ तह0 पोरसा हाल निवासी पूठरोड अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

11–मायाराम 12–रामसेवक पुत्रगण देवीदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विजयगढ तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

13–रानीदेवी पत्नी राजवीरसिंह जाति ठाकुर निवासी अकबरा हाल निवासी विजयगढ तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

.....अनावेदक

## निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 23/12/2015 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील पोरसा के प्र0क0 25 /14–15×अ/27 मौजा पाली निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम पाली तह0 पोरसा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि खाता क0 675 संम्वत 2070, खाता क0 676 संम्वत 2070, खाता क0 678 संम्वत 2070, खाता क0 679 संम्वत 2070 उक्त खातों के बटबारा हेतु आवेदन पत्र धारा 178 म0प्र0भू0 रा0 संहिता के अन्तर्गत अनावेदक क0 1 व 2 द्वारा तहसीलदार महोदय पोरसा के समक्ष प्रस्तुत किया। जो प्र0क0 25/14–15×अ/27 पर पंजीबद्व किया जाकर विचाराधीन है।

2– यह कि प्रकरण में आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32म0प्र0भू0रा0 संहिता का इस आशय का प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की। धारा 178 म0प्र0भू0 रा0 संहिता के अन्तर्गत खाते का बटबारा किया जाता हैं। खातों का नहीं। इस कारण प्रकरण अप्रचलन योग्य होने से निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक आवेदन पत्र को अबैध आधार पर कानून के विपरीत निरस्त कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

## निगरानी के आधार–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 178 म0प्र0भू0रा0 संहिता में बनाये गये बटबारा नियमों के अनुसार खाते का बटबारा किया जाता है। खातों का नहीं। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न कर आवेदक की आपत्ति को अबैध व मनमाने आधार पर निरस्त करने में गम्भीर भूल की है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अबैध होकर निरस्तनीय है।

3– यह कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख कर आपत्ति की थी कि प्रत्येक खाते का पृथक–पृथक प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर बटबारा किया जायेगा। चार खातों का एक साथ एक ही प्रकरण द्वारा बटबारा कानूनन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर विचार नहीं किया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अबैध होकर निरस्तनीय है।

4– यह कि अनावेदक क0 1 व 2 द्वारा विचारण न्यायालय तहसील में चार खातों

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 07–एक/2015 जिला मुरैना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह |
|---|---|---|
| 19–1–17 | यह निगरानी तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 25/14–15 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–12–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। शेष अनावेदक गण को रजिस्टर्ड डाक से भी सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित हैं।<br>3/ पक्षकारों के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 25/14–15 अ–27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–12–2015 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उभय पक्ष के बीच प्रचलित बटवारे के प्रकरण में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके तथ्यों को प्रमाणित न कर सकने के कारण तहसीलदार पोरसा ने अंतरिम आदेश दिनांक 23–12–2015 से आवेदन निरस्त किया है। तहसीलदार के समक्ष धारा 32 के आवेदन में रामदास, रामप्रकाश आदि की ओर से आपत्ति यह प्रस्तुत की गई है कि एक से अधिक खातों का बटवारा एक प्रकरण में नहीं किया जाना चाहिये, इसलिये धारा 178 के अंतर्गत की जा रही बटवारे की कार्यवाही निरस्त कर दी | |

जाय। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब एक से अधिक खातों के खातेदार एक हों, विचाराधिकार करने वाले अधिकारी का अधिकार क्षेत्र एक है, तब एक से अनेक खातों का सहखातेदारों के बीच एक प्रकरण में बटवारा करने पर विचार करने में अड़चन नहीं है। अतः तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 25/14-15 अ-27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-12-2015 में किसी प्रकार का दोष नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती एंव तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 25/14-15 अ-27 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23-12-2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

सदस्य